**न्यायालय विशेष न्यायाधीश–विद्युत अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।**

सत्र वाद संख्या–1166/2025
**राज्य बनाम सुशीला देवी**

मु०अ०सं०-**2038/2022**
धारा-**138(1)(b)भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना-**एंटी पावर थेफ्ट थाना औरैया** जिला-औरैया

**आरोप**

मैं पारूल जैन, विशेष न्यायाधीश-विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया, आप अभियुक्ता **सुशीला** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यहकि दिनांक 18.10.2022 को समय 16.35 बजे स्थान ग्राम भूलाहार में आपको अवर अभियन्ता नरेन्द्र कुमार व उनके अन्य सहकर्मियों के द्वारा विद्युत चैकिंग दौरान अवैध रूप से पूर्व में बकाया विद्युत बिल जमा किये अपने स्तर से संयोजन जोड़कर विद्युत चोरी कर विद्युत का उपभोग करते हुये पायी गयी। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा-138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–28.03.2026

( पारूल जैन )
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्ता ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–28.03.2026

( पारूल जैन )
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.28 16:25:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

**<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश–विद्युत अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>**

सत्र वाद संख्या–1166/2025
**राज्य बनाम सुशीला देवी**

मु०अ०सं०-**2038/2022**
धारा-**138(1)(b)भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना–**एंटी पावर थेफ्ट थाना औरैया** जिला–औरैया

<u>दिनांक–28.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्ता **सुशीला** स्वयं उपस्थित तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षों को आरोप विरचन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 138(1)(b)भारतीय विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया जाए।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप विरचन का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्ता निर्दोष है। अभियुक्ता को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 138(1)(b)भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 138(1)(b)भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप विरचन हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–28.03.2026

( पारूल जैन )
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। अभियुक्ता **सुशीला** के विरूद्ध धारा 138(1)(b)भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्ता ने आरोप से इंकार किया।

दिनांक–28.03.2026

( पारूल जैन )
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।